



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या – 3903 वर्ष 2026

सियाराम

.....प्रार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा मुख्य सचिव गृह विभाग, लखनऊ

.....प्रतिवादी(गण)

प्रार्थी(गण) के अधिवक्ता

: श्रीमती सुनीति सचान, सिधांत राठौर, उत्कर्ष मिश्रा, यश
गौतम

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 12

माननीय न्यायाधीश श्री ज़फीर अहमद

- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया और पत्रावली का अवलोकन किया गया।
- यह आवेदक की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, जो थाना इंदिरा नगर, जनपद लखनऊ के अपराध संख्या 84/2026, धारा 80(2), 85, 351(2), 352 बी.एन.एस. (तदनुरूपी धारा 304बी, 498, 504, 506 भा.द.सं.) तथा धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत संलिप्त है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है तथा आवेदक के विरुद्ध लगाए गए आरोप असत्य और आधारहीन हैं। विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक मृतका का ससुर है। विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि सह-अभियुक्त रेखा कश्यप उर्फ राम

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

दुलारी, जो मृतका की सास है, को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 3553/2026 में दिनांक 18.05.2026 के आदेश द्वारा जमानत प्रदान की जा चुकी है। विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक की भूमिका सह-अभियुक्त रेखा कश्यप उर्फ राम दुलारी के समान है, जिसे इस न्यायालय द्वारा जमानत दी गई है। यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक उक्त सह-अभियुक्त के साथ समानता के आधार पर जमानत का हकदार है।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक 31.03.2026 से कारागार में निरुद्ध है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है। यद्यपि, वे इस तथ्य को विवादित नहीं कर सके कि समान भूमिका वाले सह-अभियुक्त को इस न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत प्रदान की जा चुकी है।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार करने के उपरांत, इस तथ्य को देखते हुए कि सह-अभियुक्त, जिसकी भूमिका आवेदक के समान है, को जमानत प्रदान की जा चुकी है, आवेदक 31.03.2026 से कारागार में निरुद्ध है और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे आवेदक को जमानत पर रिहा करने हेतु उपयुक्त मामला पाता हूँ।

7. तदनुसार, जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

8. अपराध संख्या 84/2026, धारा 80(2), 85, 351(2), 352 बी.एन.एस. (तदनुरूपी धारा 304बी, 498, 504, 506 भा.द.सं.) तथा धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना इंदिरा नगर, जनपद लखनऊ में संलिप्त आवेदक सियाराम को इस शर्त पर जमानत पर रिहा किया जाए कि वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि हेतु व्यक्तिगत बंधपत्र और उतनी ही धनराशि के दो प्रतिभूति प्रस्तुत करे, जो न्यायहित में निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगी:-

i. आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

- ii. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा-धमकाएगा नहीं।
- iii. आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का प्रकटीकरण करने से रोका जा सके, और न ही वह साक्ष्यों के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा।
- iv. आवेदक इस आशय का एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगा कि वह साक्ष्य के लिए नियत तिथियों पर, जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में, विचारण न्यायालय के लिए यह खुला होगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और कानून के अनुसार आदेश पारित करे।
- v. आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष नियत प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, पर्याप्त कारण के बिना, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्यवाही कर सकता है।
- vi. यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बी.एन.एस.एस. की धारा 84 के तहत उद्धोषणा जारी की जाती है और आवेदक ऐसी उद्धोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध बी.एन.एस. की धारा 209 के तहत कानून के अनुसार कार्यवाही शुरू करेगा।
9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियां केवल वर्तमान जमानत आवेदन तक सीमित हैं और इनका विचारण के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति श्री जफ़ीर अहमद)

4 जून, 2026

कन्हैया

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।